ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-9* October- 2017
Innovation The Research Concept

भारतीय मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक अध्ययन

तरन्नुम युसुफ
प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
हलीम मुस्लिम पी0 जी0 कॉलेज,
कानपुर

सारांश

भारत के अधिकांश देशों में स्त्रियों की प्रस्थिति को लेकर सिद्धान्त और व्यवहार के बीच एक बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। एक ओर इस्लाम के अतिरिक्त सभी धर्म तथा सामाजिक कानून स्त्रियों की प्रतिष्ठा और सम्मान को सबससे अधिक मत्व देते है। अधिकांश समाजों द्वारा स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। पुरूष–प्रधान सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरूषों की वासना–पूर्ति का एक साधन मात्र समझा जाता रहा है। अधिकांश व्यक्ति स्त्रियों द्वारा नौकरी करने उच्च शिक्षा ग्रहण करने अथवा परिवार के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने को न केवल सन्देह की दृष्टि से देखतें हैं बल्कि इसे अपने अहम् के विरूद्ध भी मानते हैं। इक्कीसवीं सदी में के तथाकथित समतावादी समाज में भी स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों में अधिक कमी नहीं हुई है, भारतीय मुस्लिम समाज परम्परावादी है तथा धार्मिक कट्टरता में विश्वास करता है मुस्लिम परिवार के सभी क्षेत्रों का संचालन ''कुरान के नियमों'' के आधार पर होता है और इन नियमों का पालन करना प्रत्येक स्त्री पुरूष के लिए अनिवार्य रहा है। परन्तु मुस्लिम समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने हेतु भारत में कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुए स्पष्ट है कि मुस्लिम स्त्रियॉ आज भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है प्रस्तुत अध्ययन शोध में मुस्लिम महिलाओं की इन्हीं सामाजिक समस्याओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया गया है मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों को पुरूषों के अधीन रहना पड़ता है तथा घर की चहारदीवारी ही उनका कार्य क्षेत्र होता है सामान्यत' धर्म की सामाजिक भूमिका नकारात्मक ही रही उसने वर्गीय, जातीय व महिला शोषण को जारी रखने के लिए शासकों को दार्शनिक, वैधानिक व नैतिक अधिकार प्रदान किया। मुस्लिम महिलाओं को हर प्रकार की मानसिक व शारीरिक 'गुलामी' की स्थिति में रखा गया जहॉ उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा बचपन से औरत की समझ बुद्धि ज्ञान को नकारते हुए पुरूष प्रधान समाज ने उसे कुचल दिया ताकि वह अपने और अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल न सोचे और न ही आवाज उठा सकें।

''मनु–स्मृति के अनुसार औरत या अछूत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है वे पतियों और सवर्णों की सेवा करें''

मुख्य शब्द : भारतीय तथा मुस्लिम महिलाएं, उनके अधिकार तथा स्थिति, वर्तमान परिदृश्य में महिलाएं।

प्रस्तावना

भारतीय समाज अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है उनमें ''मुस्लिम समाज की महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ'' एक महत्वपूर्ण समस्या है स्त्रियों की एक प्रमुख समस्या अनेक सामाजिक जीवन से सम्बन्धित है। कानून के द्वारा यद्यपि स्त्री और पुरूष को समान सामाजिक अधिकार दिये गये है। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ऐसे सभी अधिकार अर्थहीन है समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों के अधीन है स्त्रियों की इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता। यह सच है कि मुस्लिम समाज की तुलना में हिन्दु समाज में पर्दा–प्रथा की समस्या कम गम्भीर है लेकिन पुरूष का अहम् इस बात को स्वीकार नहीं करता कि स्त्रियाँ पुरूषों की तरह ही सभी से स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करें।

चूंकि ''मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक समस्यायें'' समाज से जुड़ी हुई है अतः मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है और बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन विशेष महत्व रखता है यद्यपि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय जनसंख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ा समुदाय है और इसकी सहभागिता राष्ट्रहित में अहम् भूमिका रखती है। इसलिए लेखक ने ''मुस्लिम समाज की महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन'' अनुप्रयोग की दृष्टि से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययनार्थ चुना है। भारतीय संस्कृति की आत्मीयता सहन–शीलता एवं अपने में आत्म–सात करने वाली

कतिपय विशेषताओं के कारण प्रजातीय धार्मिक तथा अन्य सभी विशेषताएं इस द्रवण पात्र में एक होकर आपस में घुल मिल गए हैं और यहाँ का प्रत्येक निवासी भारत को अपना देश एवं मात्र भूमि कहने में गर्व महसूस करता है किन्तु फिर भी कभी धार्मिक आधार पर, कभी संख्या के आधार पर और कमी भाषाई आधार पर एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से अपने को दूर समझकर सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रयास करते है। उनके मस्तिष्क में यह भावना घर कर गई है कि संख्या में कमी के कारण या दूसरे धर्म के अवलम्बी होने को करण बहुसंख्यक वर्ग जिसे सामान्यतः हिन्दू कहते हैं उनके ऊपर कभी भी हावी होकर उनके धर्म या जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। वैसे यह भावना निर्मूल है। हम एक सृदृढ़ राष्ट्र के निर्माण की कल्पना तभी कर सकते हैं। जब हम अल्पसंख्यक कहे जाने वाले वर्गो के दिलों को जीतकर उन्हें यह विश्वास दिला सकें कि वे राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं भारतीय समाज में विषमता का आधार एक वर्ग विशेष के लोगों की संख्य में धर्म या भाषा है साधारण अर्थ में अल्पसंख्यक वर्ग से हमारा आशय उस वर्ग के लोगों से हाता है जिनकों धर्म भाषा और जनसंख्या की दृष्टि से किसी समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों की तुलना में कम अनुपात होता है इस आधार पर एक प्रान्त विशेष में जो अल्पसंख्यक वर्ग कहलाता है। वहीं दूसरे राज्य में बहुसंख्यक हो सकता है'' जैसे पंजाबी हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्यात्मक आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। पर पंजाब में वहीं बहुसंख्यक की श्रेणी में आएंगे इस प्रकार हमारे देश में चाहे आधार कोई भी क्यों न हो अल्पसंख्यक वर्ग एवं बहुसंख्यक वर्ग में एक विशेष प्रकार की अर्न्तनिहित कटुता की भावना पाई जाती है जो समय–समय पर भाषाई तथा साम्प्रदायिकता के आधार पर खून–खराबा करना चाहते है।कदाचित् इसी प्रकार क्षेत्रीयतावादी जैसी भावनाओं में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। चाहे वह कश्मीर हो या पंजाब।

अल्पसंख्यक शब्द ने समाज में एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है। उसने केवल भारतीयता को ही नहीं विभाजित किया बल्कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी जो मानसिकता है। उसे भी बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। भारतीय चिन्तन में न तो अल्पसंख्यक भाव है और न बहुसंख्यक भाव बस एक मनुष्य भाव है चाहे उपनिषद हो यह भगवान बुद्ध के उपदेश या गुरू नानक देव महाराज के उपदेश या कबीर अथवा मंसूर सरीखे सूफी–सन्तों के उपदेश वे न बहुसंख्यक भाव को मान्यता देते हैं न अल्पसंख्यक भाव को भारतीय दर्शन तो सभी में एक ही परमात्मा का वास रहता है। जो कुछ भी परभाव से प्रसूत है वहीं भारतीय दर्शन के लिए त्याज्य है।

''इस सन्दर्भ में एक बहुत सुन्दर वाक्य है–

अयं निजः परोवेती गणना लघुचेत्साम।
उदारचरिताना तु बसुधैव कुटुम्बकम।।

अर्थात यही आदर्श वाक्य भारतीय संसद के केन्द्रीय कक्ष के मुख्य द्वार पर स्वर्णअक्षरों में अंकित है। यह मेरा है, वह तेरा है ऐसे विचार क्षुद्रता को जन्म देने वाले है मनुष्य का श्रेष्ठतम पक्ष अर्थात् श्रेष्ठतम् चरित्र तो वह है जो सारी बसुधा को अपना परिवार मान ले तो उसके लिए कौन अल्पसंख्यक और कौन बहुसंख्यक! दुर्भाग्य से आज ऐसी बाते करने वालों का लोग उपहास उड़ाते हैं। कहते हैं कि ऐसा आज के जीवन में हो सकना असम्भव है। यह स्थिति इसलिए है कि आज का भारतीय मन–पाश्चात्य दर्शन की बहुत छाप पड़ती चलती जा रही है। अगर इसे रोका न गया तो अंततः भारतीयता समाप्त हो जाएगी। भले ही हम रंग, रीति, वेश–भूषा से भारतीय बने रहे, लेकिन मानसिक रूप से हम भारतीय नहीं रह सकेंगे। अगर हमने अपनी प्रत्येक विशिष्टता का ही परित्याग कर दिया तो फिर कहा रहेगा। भारत और कहॉ भारतीयता।

''अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अल्पसंख्यक वह समूह है जो राज्य में 50% से कम है। ''भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। किन्तु इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है–भारत में मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म आदि के धर्माविलम्बियों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में गिना जाता है। सामान्यतः अल्पसंख्यक वह है जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में है। दूसरे शब्दों में किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रति निधित्व होता है। उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं– स्वाधीनता के पश्चात् जब हमारे देश में जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर एक आदर्श प्रजातन्त्र की स्थापना की गई तो मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक होने के कारण एक बेचैनी सी हुई और उनके मस्तिष्क में व्यर्थ की रचना होने लगी और उन्होंने अपने को असुरक्षित सा महसूस किया अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी समस्या कि विधान मण्डलों में तथा विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में उन्हें न के बराबर प्रतिनिधित्व मिला है जिसके कारण उनके मन में असन्तोष की भावना है उनका मानना है कि उचित प्रतिनिधित्व मिले बिना उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुरक्षा मिलना कठिन है– भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुस्लिम के पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ परिवर्तन करना चाहती है जिससे कि इस समुदाय का आधुनिकीकरण हो सके। इस दृष्टि से सरकार ने मुस्लिम समाज में बहु–विवाह पद्धति एवं तलाक के नियमों में हस्तक्षेप किया। इस बात में अनेक मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी लोग रूष्ट हो गए–उनका कहना है कि मुस्लिम कानून ''शरीयत''पर आधारित है। जिसमें हस्तक्षेप करना धर्म विरूद्ध है अतः हम देखते है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त पाई गई है–

किसी भी देश की मौलिक एकता का सम्बन्ध उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों तथा विकास से होता है। विविधताओं में एकता उत्पन्न करना संस्कृति का एक विशेष गुण होता है। किसी देश की एकता से हमारा तात्पर्य होता है कि उस देश के मूल्यों, विश्वासों, आध्यात्मिक, विचारों परम्पराओं, आचार, विचार एवं व्यवहार आदि के सम्बन्ध में विचार करना, किसी भी राष्ट्र की एकता तभी तक जीवित रह सकती है जब तक उस देश की संस्कृति अपने आदर्शों में बंधी रहती है। जिसमें ''एक होने की भावना''(हम एक हैं) निहित होती है।

भारतीय संस्कृति ने इसी मौलिक एकता के कारण ही हजारों वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। यद्यपि भारत में अनेक धर्मों के लाग जातियॉ एवं प्रजातियॉ निवास करती है। उनकी भाषाएं अलग–अलग हैं तथा जीवन जीने के ढंग अलग–2 हैं तथापि भारतीय संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। भारतीय संस्कृति अमर है। समस्त भारत–भूमि पर सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का मौलिक अधिकार समान है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कश्मीर से बंगाल व असम तक संस्कृति में समानता पाई जाती है। अतः भारतीय संस्कृति में मौलिक एकता पाई जाती है। भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं उत्सवों धार्मिक संस्कारों और सामाजिक क्रिया–कलापों में सांस्कृतिक एकता ही दिखाई पड़ती है। भारतीय संस्कृति का आधार राजनीतिक या भौगोलिक न होकर सांस्कृतिक रहा है। भारत एक देश–प्रधान देश रहा है। क्योंकि धर्म भारतीय समाज व संस्कृति का प्रमुख अंग है। ''धर्म को भारतीय समाज व संस्कृति की आत्मा कहा गया है। क्योंकि जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर का काई अस्तित्व नहीं है ठीक उसी प्रकार बिना धर्म के भारतीय समाज व संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है अपितु सामाजिक सम्बन्धों की एक अमूर्त व्यवस्था को ही समाज शास्त्रीय दृष्टि से समाज कहा जाता है। मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं उसका संघर्षमय जीवन संकट पूर्ण परिस्थितियों आदि ने व्यक्ति की सुरक्षा की भावना को व्यक्त किया है समाज की प्रकृति परिवर्तनशील है। विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन आता रहता है। व्यक्ति की परिस्थितियॉ एवं भूमिकाएं बदलती रहती है। साथ ही समाज एक जटिल–व्यवस्था भी है। जो अनेक प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों से निर्मित या गुथी हुई है मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है। जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। संस्कृति शब्द संस्कृत शब्द भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द 'संस्कार' से बने है। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। हिन्दु समाज में भी जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार सम्पन्न करता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोंण में संस्कृति एक जटिल सम्पूर्णता है। मुस्लिम समाज शुद्ध रूपा से धार्मिक सामाजिक संगठन है। जिसका आदर्श धार्मिक तथा सामाजिक सेवा है। जो 'हजरत मोहम्मद साहब' के पद चिन्हों पर चलने के सतत् प्रयास से बने एक समाज के रूपा में गठित होता है। मुस्लिम समाज की संस्कृति उसके धार्मिक पर्यावरण में निहित होती है, एक ईश्वर की मान्यताओं को माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में मुस्लिम समाज की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित हो रही है। भारतीय समाज की सभ्यता और संस्कृतिक का ऑकलन करने के पश्चात् भारतीय संस्कृति का मिला–जुला रूप रहन सहन और खान–पान के स्तर देखने को मिलता है। सांस्कृतिक विशेषताएं ही समानता, स्वतन्त्रता व्यक्तिवादिता, तार्किकता तथा मानवतावाद को जन्म देती है। मुस्लिम समाज की संस्कृति में यही भाव पाया जाता है। इस्लाम के उदय से पूर्व अरबों में साहित्यिक विकास बहुत 'कम मात्राा में हुआ था। किन्तु मध्य–कालीन इस्लामी साहित्य ने उल्लेखनीय प्रसिद्धि प्राप्त की खलीफा हारून अल रशीद और अलिफ लैला की कहानियॉ उमर खय्याम की रूबाइयॉ और फिरदौसी का शाहनामा तो आज भी लोकप्रिय है–

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि सभी समुदायों में स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति एक समान है। वास्तव में ऐसे परिवर्तनों के केवल तुलनात्मक आधार पर ही समझा जा सकता है। जहाँ तक मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न है, सैद्धान्तिक रूप से उन्हें अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त है जो स्वतन्त्रता से पहले तक हिन्दू स्त्रियों को प्राप्त नहीं थे। उन्हें पुरूषों से ऊँचा बराबर या नींचा क्यों माना जाता है। विवाह के लिए लड़की की स्वतंन्त्रता सहमति, मेहर की राशि का निर्धारण तथा मुस्लिम स्त्रियों को मिलने वाले सम्पत्ति अधिकार इस दशा को स्पष्ट करते है। इसके बाद भी यह सच है कि भारत में स्वतन्त्रता के बाद जहॉ हिन्दू स्त्रियों ने आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी सामाजिक स्थिति में काफी सुधार कर लिया। वहीं मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन इस तरह के हुए हैं जिन्होंने स्त्रियों के परम्परागत अधिकारों को कम कर दिया है। एक और इस्लाम तुलनात्मक रूप से अधिक कट्टरपंथी होने के कारण अपने सामाजिक नियमों में किसी तरह के परिवर्तन की अनुमति नहीं देता तो दूसरी ओर पर्दा–प्रथा के कारण अधिकांश मुस्लिम लड़कियाँ आज भी समुचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती मेहर की जो राशि उनकी सामाजिक सुरक्षा का एक साधन थी। उनका निर्धारण केवल एक प्रतीक के रूप में होने लगा है। मुस्लिम कट्टरपंथी पुरूष, स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता को इस्लाम के विरूद्ध मानते है। इसके फलस्वरूप मुस्लिम महिलाओं का जीवन आर्थिक रूप से आज भी पुरूषों पर निर्भर है। यह चाहे कि हिन्दू संस्कृति के प्रभाव से मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन कम हुआ है। लेकिन सामाजिक नियमों द्वारा बहुपत्नी विवाह तथा तलाक में मान्यता मिली होने के कारण स्त्रियॉ साधारणतया पुरूषों के विभेदकारी व्यवहार का विरोध नहीं कर पाती। कुछ जागरूक और प्रगतिशील मुस्लिम स्त्रियों द्वारा तलाक की दशा में पति से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने के अधिकार का भी विरोध होने के कारण उनके कानूनी अधिकार का अस्तित्व खतरें में पड़ता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिन्होंने शिक्षा, आर्थिक सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ प्राप्त की है लेकिन ऐसी महिलाओं का प्रतिशत इतना कम है कि इसके आधार पर उनकी वास्तविक सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में होने वाला परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों का भी परिणाम है। पश्चिमी संस्कृति में

समानता, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय को अधिक महत्व देती है। यदि हम मुस्लिम महिलाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट होता है इनकी स्थिति में होने वाला परिवर्तन प्रगति की दिशा में न होकर ह्रास की दिशा में हुआ है परम्परागत रूप से अधिकांश स्त्रियों में शिक्षा का प्रयास होने तथा बाहरी समूहों से उनका सम्पर्क बढ़ने से एक ऐसी संस्कृति विकसित होने लगी है, जिसे पुरूष प्रधान संस्कृति कहा जा सकता है। इसके फलस्वरूप मुस्लिम समाज में अनेक प्रयासों का प्रचलन बढ़ गया। उदाहरण के लिए प्राचीन समय से ही बाल–विवाह का प्रचलन रहा है और यह कुप्रथा आज भी कई मुस्लिम परिवारों में देखने को मिलती है यह प्रथा उनकी स्वतन्त्रता का द्योतक है। जो कि उनका बचपन उनसे छीन लेता है और कर्तव्यों को कभी न समाप्त होने वाला बोझ उन पर डाल दिया जाता है। कम आयु में विवाह हाने सन्तान होने एवं पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण इन महिलाओं का स्वास्थ्य गिर जाता है। फलस्वरूप उनकी मृत्यु–दर बढ़ जाती है। और औसत–जीवन अवधि घट जाती है बाल–विवाह एवं जीवन–साथी के चुनाव की स्वतन्त्रता के नहीं होने के कारण कई बार मुस्लिम लड़कियों का विवाह अपनी जाति से बाहर किसी अन्य जाति में अनुप्यक्त लड़कों से करवा दिया जाता है जब वर–एवं वद्यु मानसिक घरातल पर एक होने में असमर्थ हो तो उनमें वैचारिक भिन्नता है। शिक्षा के स्तर एवं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ–भूमि में अन्तर हो तो उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है। मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसे तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। कानूनी सुविधाओं के बावजूद भी भारतीय मुस्लिम समाजों में आज भी विधवा–पुनर्विवाह को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है मुस्लिम समाज आज खुले दिमाग से विधवा–विवाह का स्वागत नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय में दहेज का प्रचलन बढ़ गया है। जो स्त्रियों की तुलना में बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट करता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पवित्र ''कुरान'' में दहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इस्लाम के वैवाहिक नियमों के अनुसार ''निकाह के बाद पति द्वारा पत्नी को आथ्रिक सुरक्षा के रूप में मेहर दिया जाता ह ैअब प्रश्न यह उठता है कि ''कुरान में दहेज का जिक्र न होने पर भी इसका लेन–देन किस आधार पर शुरू हुआ व्यवहार में मुस्लिम समाज में बढ़ती हुई दहेज प्रथा का प्रचलन स्त्रियों की स्थिति को दयनीय बनाता जा रहा है। स्त्रियों के वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रमुख समस्या ''भी है व्यवहारिक रूप से तलाक का अधिकार आज भी पुरूषों के पक्ष में है। मुस्लिम पुरूष अपने सामाजिक कानूनों की सहायता से मूनमाने तौर पर अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं हिन्दु समाज में भी स्थिति इससे बहुत भिन्न नहीं है। पत्नी से असन्तुष्ट होने पर अपनी पत्नी को तलाक देना या छोड़ देना एक सामान्य सी बात है। यह स्थिति इस आधार पर और अधिक अमानवीय है कि छोड़ी हुई स्त्री अपना पुनर्विवाह भी नहीं कर सकती है। स्त्रियों के वर्तमान जीवन से सम्बन्धित शायद सबसे गम्भीर समस्या उनके नैतिक शोषणा की समस्या है। जैसे–जैसे आर्थिक, सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्त्रियों का सहभाग बढ़ा। किसी न किसी रूप में उनके नैतिक शोषणा में वृद्धि होती रही नारी का अस्तित्व अपमानित अस्तित्व रहा है दासानुदास नारी प्राचीन काल में भी अपमानित थी और आज भी बाहर तो नारी बाद में अपमानित होती है पहले तो वह घर में ही अपमानित होती है जब से समाज में चीजों को माल–लाभ मुनाफा कमाने के लिए दूसरों की मेहनत से अंतिरिक्त लाभ–कमाने का चलन शुरू हुआ जब से मेहनत कश मजदूर हो गया और नारी प्रतीक (सेक्स सिम्बल) हो गयी।

कानून के द्वारा यद्यपि स्त्री तथा पुरूषों को समान सामाजिक अधिकार दिये गये है। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ऐसे सभी अधिकार अर्थहीन है। वास्तविकता यह है कि ऐसे सभी तर्क उतने ही खोखले है जितना कि स्वयं पुरूष का अहम। इस सन्दर्भ में यह कहना सही प्रतीत होता है कि ''पुरूष के अहम् की कहीं कोई सीमा नहीं है संसार को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसे स्त्रियों के दृष्टिकोंण से देखे'' आज के वर्तमान युग में जब कि समाज में इतना बदलाव आ गया है। किन्तु मुस्लिम समाज में अभी भी अन्ध–विश्वास परम्पराएं घर किये हुए हैं इस अन्धविश्वास की चक्की में एक स्त्री को ही पिसना पड़ता है पुरूष तो केवल दूर खड़ा होकर बस फरमाईश करता है। यह ठीक है औरत का औरत होना ही उसके लिए आने की समस्या का प्रमुख कारण बना हुआ है। चूँकि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि औरत तो औरत ही रहेगी, समाज को बदले बगैर यह समस्या हल नहीं हो सकती और समाज पूरी तरह तभी बदलता है जब व्यवस्था की प्रकृति और चरित्र बदलते है।

अध्ययन का उद्देश्य

आजकल भारतीय समाज में एक स्त्री का क्या स्थान तथा अस्तित्व है इसको यह महिलाएं स्वयं ही नहीं समझ पा रही है कि एक स्त्री क्या चाहती है? फ्रायड भी नहीं समझ सकें थे न ही अब तक कोई और समझ सका है स्त्री सभ्यता के इतने जाने अनजाने परतों से दबी रही है कि उसकी इच्छाओं का अनुमान लगाना कठिन है स्वयं कोई स्त्री बहुत चीड़–फाड़ करने के बावजूद मुकम्मिल तौर पर यह नहीं बता सकती कि दरअसल वह चाहती क्या है? वह थोपा हुआ जीवन जीने की इतनी आदी हो चुकी होती है कि अपनी इच्छा–अनिच्छा में भेद नहीं कर पाती क्योंकि अपनी इच्छा से चाहने की छूट उसके लिए एक सर्वथा अपरिचित अनुभव है। एक औरत की स्थिति की बात कही जाए तो हमारी सोच में मुख्यतः मध्यम वर्गीय औरत ही केन्द्र में रहती है महिलाएं सभी अपनी स्थितियों में अभिशाप है। ''शम्सुल इस्लाम (क्योंकि औरतें तुम्हारी खेती है) धर्म साहित्य में औरत की स्थिति का आंकलन करते हुए कहा है कि ''औरत ही एक ऐसी हस्ती है जिसका नसीब क्षेत्रों संस्कृतियों वर्गों और धर्मों में व्यापक अन्तर और भेद होने के बावजूद हर जगह एक जैसा ही रहता है आत्म–सम्मान की खातिर हर समय जूझती इन महिलाओं को हद एक निगाह तक अपमानों के इस सिलसिले में एक भी पल ऐसा नजर नहीं आता कि जब उन्हें अपने नारी होने पर कोई गर्व महसूस हुआ हो।

मुस्लिम महिलाओं की तरक्की और विकास के लिए बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है तभी वे परम्परागत बन्धनों, रूढ़िवादिता से मुक्त होगी जिस सामाजिक कुरीतियों को वे सीने से चिपटाए हुए हैं। उन्हें त्यागना उनके लिए शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है उन्हें अपने अन्दर तर्क और वितर्क को जगाना होगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन मुस्लिम महिलाओं को शोषणा से मुक्त कराने के मामले में उनकी आजादी प्रमुख कदम है क्योंकि एक स्त्री को हर प्रकार की मानसिक व शारीरिक गुलामी की स्थिति में रखा गया है जहॉ उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहा वर्तमान समाज में यह एक प्रमुख आवश्यकता है कि स्त्री–पुरूष के सम्बन्धों में अधिक से अधिक समानता लाई जाए उनके पति सहानुभूति के दो शब्द कह देना ही पर्याप्त नहीं है। वर्तमान युग में इन महिलाओं के समान अधिकारों की मांग करना भारतीय मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

अतः इस प्रकार कह सकते है कि मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम धर्म में बहुत आदर मान–सम्मान तथा अधिकार मिला है परन्तु क्या इस सन्दर्भ में हमारा भारतीय मुस्लिम समाज उन्हें वह अधिकार स्थान तथा आदर दे पाया है जो कि उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि यह समाज पुरूष–प्रधान समाज है जो महिलाओं को कभी अपने बराबर खड़ा करने की सोच भी नहीं सकता इस तथ्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि इन्हें देखकर तरस आता है कि इस स्वतन्त्र भारत में इन महिलाओं की इतनी दयनीय स्थिति हो सकती हे यह हर प्रकार की सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है। इसी सन्दर्भ में प्रश्न उठता है कि क्या पुरूषों से स्वतन्त्र स्त्रियों की पहचान सम्भव है? इस प्रश्न का उत्तर सैद्धान्तिक दृष्टि से हॉ में दिया जा सकता है किन्तु व्यवहार में नहीं आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन स्त्रियों को सौंपे गए दायित्वों का यदि हम मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि उन्होंने सराहनीय कार्य किये हैं तथा कई क्षेत्रों में तो वे पुरूषों से बढ़कर योगदान दे पाई है पर बात को उचित नहीं माना जाता है हमारे देश में महिला प्रधान–मंत्री रही तो यहॉ महिलाओं की समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी परन्तु जब व्यवस्था ही शोषक हो तो उसे पुरूष चलाए या स्त्री तंत्र–यंत्र वहीं करते है जिसके लिए बने होते हैं कैंची काटेगी ही औरत के हाथ में हो या मर्द के सारी दुनिया गैर बराबरी की व्यवस्था में जी रही है ऐसे में एक स्त्री दोहरे शोषणा का शिकार है एक शोषणा तो वह है जो मानव–मात्र के शोषणा से जुड़ा है और दूसरा शोषणा उसके स्त्री होने के नाते है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *भट्टी–जरीना–स्टेट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एण्ड सोशल चेन्च (1990) न्यू देहली रेडियन्ट पब्लिशर्स,*
2. *राजीव शुक्ला (अल्पसंख्यक वाद के नाम आत्मघात) दैनिक जागरण में प्रकाशित (दिनॉक 7 मार्च 2002)।*
3. *कुमार राधा–स्त्री संघर्ष का इतिहास (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2002)*
4. *आहूजा राम (क्राइम अगेन्सट वुमेन (जयपुर रावत पब्लिकेशन 1987)*
5. *अली सुभाषिनी–लेख (कितनी बदली भारतीय नारी, दैनिक जागरण में प्रकाशित (दिनॉक 31 जनवरी 2002)*
6. *शहीद मुर्तजा–इस्लाम में नारी का अधिकार।*